न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. — 2025/292
मुकदमा नम्बर 81/2025 दर्ज दिनांक—28.05.2025

बलवीर पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू हाल निवासी इंदिरा नगर झुझुंनू ,जिला झुझुंनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : — श्री विप्लव पण्डित
अनावेदक :— पैरो. राज.

<u>प्रार्थना—पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 01.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम घायलों का बास पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित नई खाता सं. 77 की भूमि खसरा नं. 318 रकबा 1.50 है0 की सीमाओं पर नियमानुसार सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी कायम की जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज व्यक्त नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 09.12.2024 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियें द्वारा तैयार की गई,जिस पर किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम घायलों का बास पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित नई खाता सं. 77 की भूमि खसरा नं. 318 रकबा 1.50 है0 की सीमाओं पर नियमानुसार सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के अनुसार सीमावर्ती खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी कायम कर दी जावे।

यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01/07/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला—झुझुंनू